



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2009/कार्तिक 6, 1931

No. 200]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2009/KARTIKA 6, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2009

सं. भा.आ.प.-12(2)/2009-मेडि. मिस./46501.—

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

- (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009 भाग-II" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
- सारणी-1 में—शैक्षिक योग्यताएं अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव की अपेक्षाएँ, माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रोफेसर तथा रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु शैक्षिक योग्यता 5वीं पंक्ति में उल्लिखित "एम.एस.सी. (मेडि. माइक्रोबायोलॉजी)/पी.एच.डी. (मेडि. बैक्टीरियोलॉजी)" निम्नलिखित के रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी :—
"पी.एच.डी. (मेडि. बैक्टीरियोलॉजी) सहित एम.एस.सी. (मेडि. माइक्रोबायोलॉजी)"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16-3-2005 तथा 21-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

3901 GI/2009

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2009

No. MCI-12(2)/2009-Med. Misc. /46501.—In

exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely :—

- (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009 Part-II."
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be, as indicated therein :—
- In Table-1—Requirements of Academic Qualifications, Teaching and Research Experience, the academic qualifications required for the post of Professor and Reader/Associate Professor in Microbiology Department, in 5th line mentioned as "M.Sc. (Med. Microbiology)/Ph.D. (Med. Bacteriology)" shall be substituted with the following :—
"M.Sc. (Med. Microbiology) with Ph. D. (Med. Bacteriology)"

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/09/Ext.]

Footnote :—The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and Amended vide M. C. I. Notification dated 16-3-2005 and dated 21-7-2009.